प्रारम्भिक डिकी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहन सिंह, R.A.S

उनवान

1. श्री नारान उर्फ नारायण पिता देवकिशन जणवा निवासी ईण्टाली हाल करजाली तह. कपासन, जिला चित्तौडगढ़। ....वादी

बनाम

1. श्री उंकार पिता देवकिशन जणवा निवासी ईण्टाली तह. मावली।
2. श्री रामा पिता देवकिशन जणवा निवासी ईण्टाली तह. मावली।
3. श्री परसराम पिता धन्ना जणवा निवासी ईण्टाली तह. मावली।
4. श्रीमती कालीबाई पत्नी धन्ना जणवा निवासी ईण्टाली तह. मावली।
5. राजथान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.........प्रतिवादीगण

दावा बाबत :– 53 रा.का.अधि.

मुकदमा नम्बर : 67 / 18 वाद

निर्णय दिनांक : 05.08.2019

अधिवक्ता वादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 05.08.2019 को मोहन सिंह, R.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रारम्भिक निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और प्रारम्भिक डिकी दी जाती है कि – मौजा चायलो का खेडा पटवार हल्का ईण्टाली तहसील मावली की आराजी नम्बर 3417, 3418, 3431, 3432, 3433, 3434 किता 6 रकबा 22 बीघा 14 बिस्वा भूमि का पक्षकारान के मध्य कानूनी रूप से मिट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार बंटवाडा प्रस्तावित किया जावें। बंटवाडा प्रस्ताव हेतु तहसीलदार मावली को 500/– रूपया कमिश्नर शुल्क पर बंटवाडा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता हैं, कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में बंटवाडा प्रस्तावित किया जावें। पक्षकारान के आने जाने हेतु रास्ता भी प्रस्तावित किया जावें। बंटवाडा सूची, लगान सूची, नक्शा ट्रेस दो–दो प्रतियों में पेश किया जावें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों का पूर्ण रूपेण पालन किया जावें। फिस कमिश्नर वादी मौके पर अदा करें।

यह आज तारीख 05.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)मावली

Scanned by CamScanner